संचिका सं0–10/सा0स्वा0केन्द्र–07–01/2026–......503.....(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।**

पटना, दिनांक–24/02/2026

विषयः– **सात निश्चय–3 के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के प्रखण्ड स्तरीय 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 06 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से उक्त केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग एवं ई0एन0टी0) के कुल 1080 (एक हजार अस्सी) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।**

महाशय,

सात निश्चय–3 (2025–2030) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एव इनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना से संकल्प संख्या–1587 दिनांक–16 12 2025 निर्गत है। उक्त संकल्प की कंडिका–5 (सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन) की उप कंडिका–(क) में प्रखड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

2– भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुरूप राज्य के प्रखण्ड स्तरीय सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में विभागीय संकल्प सं0–550(10), दिनांक–11.04 2025 द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की 05 विशेषज्ञता यथा–जेनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं मूर्च्छक के पद वर्तमान मे सृजित हैं।

3– अतएव सात निश्चय–3 के तहत राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र मे नेत्र रोग एव ई0एन0टी0 के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण ईलाज उपलब्ध कराने हेतु उक्त केन्द्रों मे पूर्व से सृजित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 05 विशेषज्ञताओं के अतिरिक्त वर्तमान मे विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की 02 अन्य विशेषज्ञताएॅ यथा–नेत्र रोग एवं ई0एन0टी0 के पदसृजन की आवश्यकता के आलोक में राज्य के प्रखण्ड स्तरीय 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 06 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा कुल 540 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग एवं ई0एन0टी0) के कुल 1080 (एक हजार अस्सी) पदों के सृजन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

क्र0 सं0	पद नाम	पूर्व से सृजित पद	सृजित अतिरिक्त पद	वेतनमान
i	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग)	0	540 × 1 = 540	लेवल–11
ii	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई0एन0टी0)	0	540 × 1 = 540	लेवल–11
	कुल –	0	1080	

4— इस मद में अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 1,55,06,89,920/— (एक अरब पचपन करोड़ छः लाख नवासी हजार नौ सौ बीस रूपये) मात्र संभावित है ।

5— इन सृजित किये जाने वाले पदों पर होने वाले व्यय की राशि का वहन मांग संख्या—20, मुख्य शीर्ष 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी, लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष—0001—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विपत्र कोड—20—2210031100001 से किया जाएगा।

6— राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।

7— राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8— प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—20.02.2026 में मद संख्या—26 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

9— राज्यादेश प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—10/सा०स्वा0केन्द्र—07—01/2026 के पृष्ठ—21/टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/2/26

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः—10/सा0स्वा0केन्द्र—07—01/2026-503(10)/स्वा0, पटना, दिनांक—24/02/2026

प्रतिलिपिः—मुख्यमत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मत्रिमडल सचिवालय विभाग को मत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक— 20.02.2026 मे मद सख्या—26 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के विशेष सचिव।